प्रतिष्ठान केंद्र विख्यात कार्यकारी एवं पदन परियोजना अधिकारी (माडी), जिला परिषद जयपुर
E-Mail Id:-- madajaipur@gmail.com
Ph. 0141-2207970

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रमक.</th>
<th>कार्यक्रम का सं.</th>
<th>प्रतिष्ठान का विवरण</th>
<th>आयोजक का नाम</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 1      | जनजाति प्रतिभागी माता अथवा छात्राओं को सन्तुष्ट कराने वाले विवरण | 2016-17 में राजस्थान राज्य से राजकीय विवाद में अन्तर्निहित रहस्यार्थ गा. जिला माध्यमिक विद्यालय में अन्तर्निहित रहस्यार्थ गा. जिला माध्यमिक विद्यालय में प्रमाण दान 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक आया तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी तथा स्नातक की गई थी

आयोजन: www.jaipur.rajasthan.gov.in द्वारा लाएँ।

नोट:
1. आयोजन पत्र तत्वांतर अनावश्यक शैक्षिक संस्थानों के नाम से ही स्थीर किये जाएँगे।
2. आयोजन पत्र पूर्ण एवं सूचनाभर्ती होना चाहिए। आयोजन पत्र पूर्ण एवं अपेक्षित होने, आयोजन पत्रों में पाठ्य एवं दस्तावेज प्रमाण की होने की स्थिति में आयोजन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए पृथक से सुनिश्चित नहीं जाएगी।
3. पात्र अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए आयोजन पत्र पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 10.08.2017 तक कर्तव्य निर्देश अनावश्यक शैक्षिक संस्थानों में जमा कराये जायेंगे। तथा शैक्षिक संस्थानों के लिए प्राप्त आयोजन तथा दस्तावेजों की ही जमा कर दिया गया और सही आयोजन पत्रों में सूची दिनांक 18.08.2017 तक कर्तव्य निर्देश अनावश्यक शैक्षिक संस्थानों में जमा कराये जायेंगे। सीधे दिनांक 18.08.2017 पनान आयोजन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
जनजाति छात्राओं को निशुल्क स्कूटी वितरण योजना आवेदन—पत्र वर्ष 20

सेवा में,

श्रीमान् अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदन वरिष्ठ अधिकारी (भाड़ा)
जिला परिषद

विषयः—राजकीय विद्यालय में गत वर्ष अध्यायन रहकर बोर्ड (राजस्थान/सी.बी.ई.ई.)
परीक्षा में कक्षा 10वीं/12वीं में 65% या अधिक अंक प्राप्त करने एवं समान्य
शिक्षा में निरन्तर अध्ययन रहने पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा
दी जाने वाली जनजाति छात्राओं को निशुल्क स्कूटी/नकद सहयोग हेतु
आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशन है कि वर्षान्त में मैं

विद्यालय/महाविद्यालय में कक्षा .................................................. में अध्ययन कर रही हूँ।

विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः

1. छात्रा का नाम ...........................................................................................................
2. पिता/अभिभाषक का नाम ..............................................................................
3. जाति ......................................................................................................................
4. स्थाई निवास का पता ...........................................................................................
5. वर्षान्त निवास का पता .......................................................................................
6. बोर्ड परीक्षा का नाम एवं उत्तीर्ण वर्ष ............................................................
7. वर्षान्त कक्षा एवं कोर्स का नाम ................................................................
8. विद्यालय/महाविद्यालय का नाम .................................................................
9. प्रेसेस दिनांक एवं वर्ष ...................................................................................
10. फीस रस्तों संख्या एवं दिनांक ................................................................
11. पिता/अभिभाषक की वार्षिक आय ................................................................
12. क्या पिता/अभिभाषक आयकर दाता है : है/नहीं ........................................
13. क्या प्रार्थिया का मूल निवास माझा/कलस्टर/विखंड क्षेत्र में आता है : है/नहीं
14. क्या पूर्व में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निशुल्क स्कूली मिल चुकी है: है/नहीं ........

यदि हाँ तो उसका पूर्व विवरण कसा ......................... प्रतिष्ठा ......................... स्कूली स्वीकृति/प्राप्ति की दिनांक .........................

15. छात्र के बैंक का नाम ...................................................... शाखा ........................................................
खाता संख्या ............................................................ आई एफ सी कोड ........................................

आवेदक द्वारा की गई घोषणा

मैं प्रमाणित करती हूँ कि उक्त विवरण में दर्शायी गई सूचनाएं सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति एवं आय प्रमाण-पत्र मूल संलग्न है। मैं वास्तव में उक्त राजकीय विभाग/महाविभाग में नियमित रूप से अध्ययनरत हूँ एवं बोर्ड कक्षा में वर्ष ........................................ में चैने कक्षा ..........................
राजकीय विभाग ........................................................ में नियमित अध्ययन छात्रा रहकर उत्तरीण की है तथा पूर्व में इस योजना से लाभार्थी नहीं हुई हैं। अतः कृपया मुख्य निवासार्थी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निशुल्क स्कूली वितरण योजना के तहत निशुल्क स्कूली/नगद सहायता से लाभार्थी करायें।

हस्ताक्षर पिता/अभिभाषक
................................................................. विभाग आवेदक

स्थान:.................................................................

दिनांक:..............................................................

•••संलग्न प्रमाण पत्र•••

1. 10 वी/12 वी की अंक तालिका (मूलपत्र 65% अंक -(प्रमाणित प्रति)
2. मूल निवास प्रमाण-पत्र – (प्रमाणित प्रति)
3. जाति प्रमाण-पत्र – (प्रमाणित प्रति)
4. राजकीय विभाग द्वारा उत्तरीण व वर्तमान में निरंतर अध्ययनरत का संस्था प्राप्त का प्रमाण पत्र।
5. आय प्रमाण-पत्र
6. बैंक खाते की छाया प्रति।

(नोट—निशुल्क स्कूली केवल एक बार ही देय है। यदि कक्षा 10वी में 65 प्रतिशत या अधिक प्रतिशत अंक आने पर स्कूली का लाभ लेने के पवेशा कक्षा 12वी में 65 प्रतिशत या अधिक प्रतिशत अंक आने पर नगद सहायता देय होगी। यदि कक्षा 10वी में स्कूली लाभ नहीं लिया है तो कक्षा 12वी में निशुल्क स्कूली का लाभ देय है।)